न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः– श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :– 47 / 2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्टसगण
1. भागचन्द पुत्र श्री खेराजराम, जाति विश्नोई निवासी रामदेव नगर भोजाकोर तहसील देचू जिला फलोदी राजस्थान		1. जोराराम पुत्र खेराजराम 2. वगतू पत्नि खेराजराम 3. केशरराम पुत्र भाखरराम 4. भंवरलाल पुत्र भाखरराम 5. श्यामलाल पुत्र भाखरराम 6. गिरधारीराम पुत्र लादुराम उर्फ लाधुराम 7. जीवणी पत्नि लादुराम उर्फ लाधुराम 8. सोहनलाल पुत्र लादुराम उर्फ लाधुराम 9. हेताराम पुत्र लादुराम उर्फ लाधुराम सभी जाति विश्नोई निवासी रामदेव नगर भोजाकोर तहसील देचू जिला फलोदी 10. ग्राम पंचायत भोजाकोर 11. तहसीलदार फलौदी / देचू

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बविरूद्व आदेश दिनांक 31.12.2010 प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 कैम्प भोजाकोर क्रमांक 846 में तहसीलदार फलोदी द्वारा बण्टवाड़ा पारित किया गया।

उपस्थित वकील –:

अपीलाण्ट् की ओर से– अधिवक्ता श्री हितेश जैन।

रेस्पाडेन्टस संख्या 01 ता 10 की ओर से– अधिवक्ता श्री उगराराम उदाणी।

दिनांकः– 22/05/2024

निर्णय

1. यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत बविरूद्व आदेश दिनांक 31.12.2010 प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 कैम्प भोजाकोर क्रमांक 846 में तहसीलदार फलोदी द्वारा बण्टवाड़ा पारित किया गया ,अपीलांट द्वारा मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलांट की अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के एवं 3 ता 5 के पिता भाखरराम व 4 ता 9 के पिता लाधुराम उर्फ लादुराम व इनकी दादी झमू पत्नि चौखाराम के नाम से संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि वाके ग्राम रामदेव नगर पटवार क्षेत्र पीलवा (वर्तमान भोजाकोर तहसील फलोदी (वर्तमान तहसील देचू) में खेत खसरा संख्या 2159 रकबा 55 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 2176 रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 2184 रकबा 0.15 बीघा, खसरा संख्या 2185 रकबा 121 बीघा 15 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 207 बीघा 03 बिस्वा व ग्राम पीलवा पटवार क्षेत्र पीलवा तहसील फलोदी (वर्तमान तहसील देचू) में खेत खसरा संख्या 2218 रकबा 27 बीघा भूमि आई हुई थी उक्त खसरा का एक बंटवाडा रेस्पोडेन्टस ने दिनांक 31.12.2010 को अपीलांट को बिना बताये व समझाये हस्ताक्षर करवाकर कब्जा काश्त के विरूद्व प्रशासन गांवो के संगा अभियान कैम्प भोजाकोर में दिनांक 31.12.2010 को समक्ष अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृत करवा

लिया जो विधि विरूद्व एवं सरासर गलत है। अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने से यह अपीलांट नें अपील की म्याद के अंदर न्यायालय में पेश की है।

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री हितेश जैन के द्वारा अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 10 की ओर से अधिवक्ता श्री उगराराम ने वकालातनामा एवं राजीनामा का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

4. उभयपक्ष अधिवक्ता एवं अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 10 उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वास्ते राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में दोनों पक्षो के मध्य राजीनामा हो गया है। तथा राजीनामा के मुताबिक दिनांक 31.12.2010 प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 कैम्प भोजाकोर क्रमांक 846 के अनुसार तहसीलदार फलोदी द्वारा किये गये बंटवाड़ा को निरस्त करवाने में सहमत है। दोनों पक्षकार उक्त बंटवाड़ा को निरस्त करवाना चाहते है। उभयपक्षकारान ने निवेदन किया कि प्रकरण में वर्णित बंटवाड़ा को निरस्त फरमाया जावे।

5. उभयपक्षकारान एवं अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं राजीनामा वास्ते प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

6. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्टस द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र के विरूद्व आपत्ति पेश नही की है एवं राजीनामा में अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है। अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलांट एंव रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 10 के मध्य प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार राजीनामा हो गया है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्व क अवलोकन किया एवं पक्षकरान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2024 पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार फलौदी द्वारा दिनांक 31.12.2010 को तत्कालीन खातेदारान द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 53 (2) के तहत आपसी सहमति से प्रस्तुत बंटवाड़ानामा से सहमति व स्वीकृति दी गई है। उक्त बंटवाड़ा के विरूद्व अपील में प्रार्थना की गई है कि अपीलांट अनपढ़ आदमी है जिन्हे केवल हस्ताक्षर करना आता है। प्रशासन गांवो के संग 2010 कैम्प के दौरान उन्हे बिना समझाये पटवारी द्वारा बंटवारानामा पर हस्ताक्षर करा लिए गए। बंटवाडा प्रस्ताव मौके पर कब्जा काश्त अनुरूप नहीं है। बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकृति से पूर्व पटवारी या तहसीलदार द्वारा कोई जांच नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि बंटवाड़ा प्रस्ताव में पटवारी को रिपोर्ट में मौका निरीक्षण का उल्लेख नहीं है। पटवारी द्वारा टाइपशुदा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए है। जिससे स्पष्ट नहीं है कि पटवारी ने मौका निरीक्षण वस्तुतः किया है या नही। बंटवाड़ानामा पर खातेदारान के पहचानकर्ता के भी हस्ताक्षर नहीं है।

8. पक्षकारान द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त बंटवाड़ा आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है। राजीनामा के समय पक्षकारान न्यायालय में उपस्थित रहे है। जिनकी पहचान अधिवक्तागण द्वारा की गई है।

9. उपरोक्त तथ्यों के विवेचन में तहसीलदार फलौदी द्वारा जारी आदेश दिनांक 31.12.2010 प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प 2010 कैम्प भोजाकोर क्रमांक 846

Scanned with OKEN Scanner

को निरस्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार फलौदी (वर्तमान तहसीलदार देचू) को प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार स्वयं, पक्षकारान की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर, बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर पक्षकारान की सहमति लेवे एवं रहनकर्ता बैंक सहित समस्त पक्षकारों की सुनवाई कर पुनः समुचित निर्णय पारित करे। प्रकरण में खसरा नम्बर 2159 में गिरधारी, सोहनलाल , हेताराम पिता लाधुराम का हिस्सा युको बैंक शाखा देचू में रहनशुदा है। अतः बैंक के हितों को दृष्टिगत रखते हुए इनका हिस्सा उक्त खसरा में यथावत रखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22/05/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

22.05

जिला कलक्टर
फलोदी

जिला कलेक्टर
फलोदी (राज.)